झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 30.07.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, स०वि०स० सुदिव्य कुमार, स०वि०स०	झारखण्ड के 6 जिलों में पोषण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से पोषण सखी की नियुक्ति की गई थी। केन्द्र सरकार के द्वारा इस योजना को बंद कर देने के बाद झारखण्ड में भी पोषण सखी की सेवा समाप्त कर दी गई थी। झारखण्ड सरकार आगामी दिनों में इन 10,000 पोषण सखी की उपयोगिता को देखते हुए इनकी पुनः बहाली हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
02-	श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०	झारखण्ड अलग राज्य गठन के बाद गठित झारखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बंगभाषी समुदाय को पूर्व में सभी सरकारों में स्थान दिया गया था, जबकि इस बार गठबंधन सरकार में नामांकित पदों में भाषाई अल्पसंख्यकों में बांग्लाभाषियों को नजरअंदाज करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के किसी भी पद में स्थान नहीं दिया गया है, जो राज्य में निवास करने वाले समूचे बंगभाषी समुदाय की उपेक्षा है। इसके अलावा भी बंगभाषी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पुनः नए सिरे से बांगला भाषा की पढ़ाई शुरू हो, कक्षा एक से -	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

01.	02.	03.	04.
		दस तक सभी विषयों की किताबें बांगला में मुद्रित हों एवं बच्चों में वितरित हों, केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी सभी विद्यालयों में अन्यान्य भाषाओं की भांति बांग्ला में भी अविलम्ब शिक्षा शुरू हो, बांग्ला शिक्षा को सफल बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति हो, बांग्ला एकेडमी का स्थापना हो और द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त बांग्ला भाषा का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन हो, इत्यादि। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि राज्य में लाखों की संख्या में निवास कर रहे बंगभाषियों के हित में उक्त मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करवाते हुए झारखण्ड में बांग्ला एकेडमी की स्थापना करवाते हुए झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व की भांति भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बंग समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति करवायी जाय।	
03-	श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0	केन्द्रीय कर्मियों को जनवरी-2020 से जनवरी-2021 तक क्रमशः 4 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत कुल 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया था, पर उक्त अवधि का एरियर अभी तक अप्राप्त है। राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के DA (महंगाई भत्ता) देने का पूर्ण अधिकार है। झारखण्ड सरकार अपने पदाधिकारी/कर्मचारी को मनोयोग से सरकार के कार्यों का सम्पादन के निमित्त उक्त अवधि के महंगाई भत्ता का एरियर देने के संबंध में सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	वित्त

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
04-	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0	राँची नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत यातायात को विनियमित करने के संबंध में दिनांक-10.07.2024 को आहुत ट्रैफिक टास्क की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में लघु माल वाहक वाहनों के परिचलन हेतु निर्गत आदेश संख्या-155, दिनांक-01.04.2017 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से डिस्ट्रीब्यूटर, खाद्य एवं अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों एवं टैंपो चालकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-24.07.2024 को प्रकाशित सूचना के अनुसार राँची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश में माल मालवाहक वाहन तीन पहिया, चार पहिया एवं ठेला इत्यादि का परिचालन सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 से 8:30 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकाशित सूचना में यह स्पष्ट है कि रात्रि 8:30 बजे के बाद प्रचलन की अनुमति दी गई है जिसका कोई लाभ व्यवसाईयों को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि शहर की दुकान उस अवधि के पश्चात बंद हो जाती है। इस कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन वाधित हो रही है। यह निर्णय व्यवसाईयों एवं आम नागरिकों के लिए अत्यंत ही कष्टकारक है और उनके हितों के रक्षा नही करती है। छोटे मालवाहकों से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोगों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः मैं स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा यातायात से जुड़े नये नियम को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
05–	सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0	हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागाँव प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंदलपुरा व बादम, केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के पचड़ा में खनन कार्य प्रस्तावित है परंतु खनन कार्य चालू नहीं किया गया है फिर भी उक्त पंचायत के गरीब निवासियों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास समेत अनेक सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण लोगों में भारी क्षोभ व्याप्त है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का इस मामले पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ ताकि उक्त ग्राम पंचायत के गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो सके।	ग्रामीण विकास

राँची,
दिनांक– 30 जुलाई, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–30/2024–3477/वि0 स0, राँची, दिनांक– 29/07/24

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/ सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ सचिव, वित्त विभाग/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–30/2024–3477/वि0 स0, राँची, दिनांक– 29/07/24.

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/07/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

29/07/24